संख्या–2900 ई–2/तेरह–2011–96/2011

प्रेषक,

याद अली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग–2 लखनऊः:दिनांक 20 दिसम्बर,2011

विषयः– शीरा वर्ष 2011–12 के लिये शीरा नीति के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित अपने पत्र संख्या–जी 56/दस–185(1)/शीरा नीति–2011–12, दिनांक 15–11–2011 तथा पत्र संख्या– संख्या–जी 59/दस–185(1)/शीरा नीति–2011–12, दिनांक 23–11–2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शीरा वर्ष 2011–12 हेतु शीरा नीति निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः–

(1) प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे का 22 प्रतिशत शीरा देशी मदिरा हेतु आरक्षित रहेगा, किन्तु ऐसी चीनी मिलें, जिनकी अपनी आसवनी हैं, वे उस सीमा तक मुक्त रहेंगी, जिस सीमा तक वे शीरे का स्वयं की आसवनी में उपभोग करती हैं। उक्त आरक्षण का प्रतिशत इस शर्त के साथ निर्धारित किया जाता है कि माह अप्रैल,2012 में आबकारी आयुक्त के स्तर पर उसका पुनर्विलोकन (रिव्यू) किया जायेगा। यदि उक्त आरक्षण के प्रतिशत में किसी परिवर्तन (घटाने अथवा बढ़ाने) की स्थिति उत्पन्न होती है, तो यथावश्यकता आबकारी आयुक्त की संस्तुति पर इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।

(2) ऐसी चीनी मिल, जिसकी अपनी सह आसवनी है एवं आसवनी द्वारा देशी मदिरा की आपूर्ति की जाती है तो चीनी मिल सर्वप्रथम अपने उत्पादन का 22 प्रतिशत तक का उपभोग देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु करेगी। यदि उनकी आसवनी द्वारा 22 प्रतिशत के उपभोग के उपरान्त भी देशी मदिरा की आपूर्ति की जाती है तो अतिरिक्त शीरे के आवंटन/प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर पेराई कार्य समाप्ति के उपरान्त उत्पादन की स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात् शीरा वर्ष के प्रारम्भ से गणना करते हुये (अर्थात् नवम्बर से माह अक्टूबर तक) की गयी आपूर्ति के सापेक्ष आरक्षित शीरे की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार कर अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी तथा मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(3) 22 प्रतिशत आरक्षण की स्थिति में आरक्षित/अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपात 1 : 3.5 रखा जाय।

(4) वर्ष 2010–11 की शीरा नीति की भाँति शीरा वर्ष 2011–12 में अनुपात अनुरक्षण की समीक्षा हेतु सत्र के प्रथम छमाही में द्विमासिक समीक्षा एवं अगले छमाही में मासिक समीक्षा करके गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर आबकारी आयुक्त द्वारा प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) शीरा वर्ष 2009–10 में कतिपय चीनी मिलों में पेराई के दौरान निर्धारित अनुपात में शीरा विक्रय न कर सकने तथा मिलों में सीमित भण्डारण क्षमता होने के कारण शीरा ओवर फ्लो हो कर नष्ट होने की सम्भावना बन गयी थी। कतिपय प्रकरणों में टैंक के लीकेज होने, ओवरफ्लो होने, आटोकम्बशन की स्थिति व अन्य आंकस्मिकता की स्थिति भी उत्पन हो गयी थी। ऐसी स्थिति में शीरे को तत्काल क्षति से बचाने, राजस्व क्षति को रोकने एवं उद्योग हित की दृष्टि से अस्थायी रूप से अनुपात शिथिल करने (ओवरशूट) की अनुमति प्रदान किया जाना अपरिहार्य हो गया था। ऐसी चीनी मिलों को अस्थायी रूप से अनारक्षित शीरे के विक्रय हेतु अनुपात शिथिल (ओवरशूट) करने की अनुमति कतिपय प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की गयी थी। चीनी मिलों को नया पेराई सत्र आरम्भ होने पर, शीरा उत्पादन के पूर्व टैंक खाली कराने की आवश्यकता होती है। कतिपय चीनी मिलें अनारक्षित शीरे का निस्तारण अनुपात अनुरक्षण (आरक्षित एवं अनारक्षित) के कारण नहीं कर पाती हैं, जिस कारण वे अनुपात शिथिल करने का अनुरोध करती हैं और उनके अनुरोध पर ऐसे प्रकरणों में भी अनुपात अनुरक्षण में शिथिलता की अनुमति कतिपय प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की गयी थी। शीरा सत्र 2010–11 में भी चीनी मिलों के आवेदन पर गुणावगुण के आधार पर विचार करने के उपरान्त अस्थायी तौर पर अनुपात में शिथिलीकरण/छूट शासन स्तर से प्रदान की गयी थी। अतः शीरा सत्र 2011–12 में यदि उपरोक्त वर्णित कोई भी आकस्मिकता/अपरिहार्यता की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे शीरे की हानि होने की सम्भावना बन जाती है तो शीरे के सुरक्षित भण्डारण के उद्देश्य से यदि किसी चीनी मिल द्वारा आवेदन किया जाता है तो गुणावगुण के आधार पर विचार करने के उपरान्त अस्थायी तौर पर अनुपात में शिथिलीकरण/छूट प्रदान करने का प्रस्ताव शीरा नियंत्रक द्वारा शासन को प्रेषित किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित शीरा विचलन समिति की संस्तुति पर अंतिम निर्णय मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा लिया जायेगा।

(6) शीरा वर्ष 2011–12 में शीरे के निर्यात पर सामान्यतया प्रतिबन्ध रहेगा, किन्तु शीरे की उपलब्धता आवश्यकता से अधिक होने पर राजस्वहित में उसके निर्यात के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक से सुविचारित प्रस्ताव/संस्तुति प्राप्त होने पर शीरा निर्यात की अनुमति अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित शीरा विचलन समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी के अनुमोदन से दी जायेगी।

(7) शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर शीरा नीति 2010–11 की भाँति शीरा वर्ष 2011–12 में प्रदेश के अन्दर खपत के लिये रू0 11/– प्रति कुण्टल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात पर रू0 15/– प्रति कुण्टल यथावत् रखने एवं इसके अतिरिक्त अन्य प्रान्तों से शीरा आयात पर रू0 11/– प्रति कुण्टल तथा अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात पर प्रशासनिक शुल्क की दर रू0 15/– प्रति कुण्टल को यथावत् रखा जाय।

(8) शीरा नीति वर्ष 2010–11 में अन्य राज्यों से शीरा आयात करने की व्यवस्था थी, जिसके अनुसार शीरा आयात करने से पूर्व आयातक को आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करना था। उक्त व्यवस्था शीरा वर्ष 2011–12 में भी यथावत् लागू रहेगी। अन्य प्रदेशों से आयातित शीरे पर रू0 11/– प्रति कुन्टल की दर से प्रशासनिक शुल्क के रूप में अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी होती है। शीरा नीति 2010–11 की भांति शीरा वर्ष 2011–12 में भी आयात के पूर्व आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के साथ देश के अन्य राज्यों से शीरा आयात किये जाने का प्राविधान यथावत् रहेगा।

(9) शीरा सत्र 2010–11 में अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात की अनुमति शासन द्वारा रू0 15/– प्रति कुण्टल की दर से प्रशासनिक शुल्क की देयता के साथ प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया था। शीरा

वर्ष 2011–12 में भी अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात करने की अनुमति शासन के अनुमोदन से प्रदान करने एवं शीरा आयातक को भारत सरकार द्वारा आयात निर्यात के सम्बन्ध में निर्धारित नीति एवं शर्तों का पालन करने के साथ शासन के अनुमोदन से प्रदान की जाय।

(10) शीरा नीति 2010–11 की भॉति शीरा वर्ष 2011–12 में शीरा निधि की धनराशि को अन्तर इकाई हस्तानान्तरण की सुविधा शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्वानुमोदन के अधीन रखा जाय।

(11) शीरा वर्ष 2010–11 की भांति पावर अल्कोहल हेतु शीरे पर किसी प्रकार की छूट न दिये जाने सम्बन्धी व्यवस्था को शीरा वर्ष 2011–12 में भी यथावत् बनाये रखा जाय।

(12) शीरा नीति 2010–11 की भॉति शीरा सत्र की समाप्ति के पूर्व यथोचित समय पर अवशेष अविक्रीत आरंक्षित श्रेणी के शीरे को स्वयं के उपभोग अथवा फ्री सेल में विक्रय हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को शीरा नियंत्रक द्वारा स्वविवेक से निर्णय लेते हुए शासन को सन्दर्भित करने एवं उस पर शासन द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिये जाने की व्यवस्था शीरा वर्ष 2011–12 में भी यथावत् लागू रहेगी।

(13) शीरा सत्र 2010–11 की शीरा नीति में देशी मदिरा के उपभोग से अवशेष आरक्षित शीरे का आवंटन विदेशी मदिरा के निर्माताओं को शीरा नियंत्रक द्वारा किये जाने का प्राविधान था। गतवर्ष की भांति वर्तमान शीरा वर्ष 2011–12 में भी इस व्यवस्था को बनाये रखा जाय।

(14) शीरा नीति 2011–12 में शीरा विचलन के प्रकरणों का निस्तारण किये जाने हेतु शीरा वर्ष 2010–11 की व्यवस्था को यथावत् बनाये रखा जाय अर्थात् शीरा विचलन के प्रकरणों में विचारार्थ शीरा सत्र 2011–12 में भी अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया जायः–

1– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त –– अध्यक्ष
2– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग –– सदस्य
3– प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग –– सदस्य
4– प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग –– सदस्य/संयोजक।

चीनी मिलों के प्राप्त आवेदन पत्रों का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करके आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक द्वारा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित शासन को प्रेषित किया जायेगा, जिस पर उपर्युक्त समिति द्वारा विचार कर अपनी संस्तुति की जायेगी तथा मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(15) खाण्डसारी शीरे की आड़ में प्रदेश की चीनी मिलों का भी शीरा तस्करी करके अन्य प्रान्तों में भेजे जाने की संभावना बनी रहती है। अतः शीरे की तस्करी रोकने एवं उस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सिविल अपील संख्या–4796/1998 कुराली शीरा उद्योग बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में गत शीरा वर्ष 2010–11 की भांति शीरा वर्ष 2011–12 में भी खाण्डसारी शीरे का प्रदेश से बाहर निर्यात आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाय।

(16) प्रदेश में उठने वाले शीरे के उठान को नियंत्रित करने एवं सम्भरित शीरे का सही लेखा–जोखा रखने के उद्देश्य से शीरे पर आधारित इकाईयों को शीरे का उठान शीरा पासबुक के आधार पर ही किये जाने

की व्यवस्था लागू की जाय तथा शीरे के सम्भरण, संचालन तथा परिवहन हेतु उचित प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के प्राविधान/निर्देश शीरा नियंत्रक स्तर से जारी किये जायं।

(17) विगत शीरा नीति में यह प्राविधान था कि शासन द्वारा बी0आई0एफ0आर0 के अंतर्गत आने वाली किसी चीनी मिल को यदि छूट प्रदान की जाती है तो छूट मिलने की तिथि से उस चीनी मिल में उत्पादित/उपलब्ध शीरे पर आरक्षण लागू नहीं होगा, परन्तु ऐसी चीनी मिलों को प्रशासनिक शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी। इस व्यवस्था को गत वर्ष की भांति इस वर्ष 2011–12 में भी यथावत् बनाये रखा जाय। इस सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित शीरा विचलन समिति की बैठक में विचार करके संस्तुति की जायगी, जिस पर मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

(18) शीरा नीति 2010–11 की भांति शीरा वर्ष 2011–12 में भी प्रदेश में शीरे पर आधारित लघु इकाईयों, जैसे यीस्ट, पशु आहार, तम्बाकू इत्यादि उत्पादक इकाईयों को शीरे का आवंटन उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम,1964 की धारा–7 के अंतर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र पर स्थानीय अधिकारियों की आख्या/संस्तुति, इकाईयों की यथार्थ मांग एवं प्रदेश में शीरे की उपलब्धता/वास्तविक आवश्यकता तथा लोकहित में शीरे की सदुपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुये इकाईयों की निर्धारित क्षमता के अंतर्गत समय–समय पर शीरे की उपलबधता, आवश्यकता एवं सदुपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुये शीरा नियंत्रक द्वारा शीरा आवंटित किया जाय।

(19) शीरा नीति 2011–12 मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में लम्बित एस0एल0पी0(सी0) नं0–12922/2011 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 व अन्य एवं उससे सम्बद्ध अन्य विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

(20) शीरा नीति 2011–12 तब तक यथावत् प्रभावी रहेगी, जब तक कि वर्ष 2012–13 के लिये शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती है।

भवदीय,

(याद अली)
उप सचिव।

कार्यालय शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

सं0– 19182/दस–शीरा/शीरा नीति/2011–12/इलाहाबाद : दिनांक : दिसम्बर 20, 2011

आदेश

इस कार्यालय के आदेश सं0–13929/दस–शीर/शीरा नीति/2010–11/दिनांक–30.12.2010 के संदर्भ में, मैं महेश कुमार गुप्ता, शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, उ0प्र0 शीरा नियंत्रण अधिनियम–1964 की धारा–8(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या–2900/ई–2/तेरह–2011–96/2011 दिनांक–20.12.2011 के अनुक्रम में शीरा वर्ष 2011–12 के लिए उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के सम्बंध में शीरा नीति निर्धारण हेतु निम्नलिखित आदेश देता हूँ :–

(1) प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे का 22 प्रतिशत शीरा देशी मदिरा हेतु आरक्षित रहेगा, किन्तु ऐसी चीनी मिलें, जिनकी अपनी आसवनी हैं, वे उस सीमा तक मुक्त रहेंगी, जिस सीमा तक वे शीरे का स्वयं की आसवनी में उपभोग करती हैं। उक्त आरक्षण का प्रतिशत इस शर्त के साथ निर्धारित किया जाता है कि माह अप्रैल, 2012 में शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के स्तर पर उसका पुनर्विलोकन (रिव्यू) किया जायेगा। यदि उक्त आरक्षण के प्रतिशत में किसी परिवर्तन (घटाने अथवा बढ़ाने) की स्थिति उत्पन्न होती है, तो यथावश्यकता शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की संस्तुति पर इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।

(2) ऐसी चीनी मिल, जिसकी अपनी साह आसवनी है एवं आसवनी द्वारा देशी मदिरा की आपूर्ति की जाती है तो चीनी मिल सर्वप्रथम अपने उत्पादन का 22 प्रतिशत तक का उपभोग देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु करेगी। यदि उनकी आसवनी द्वारा 22 प्रतिशत के उपभोग के उपरान्त भी देशी मदिरा की आपूर्ति की जाती है तो अतिरिक्त शीरे के आवंटन/प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर पेराई कार्य समाप्ति के उपरान्त उत्पादन की स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात् शीरा वर्ष के प्रारम्भ से गणना करते हुये (अर्थात् नवम्बर से माह अक्टूबर तक) की गयी आपूर्ति के सापेक्ष आरक्षित शीरे की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार कर अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी तथा शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(3) 22 प्रतिशत आरक्षण की स्थिति में आरक्षित/अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपात 1 : 3.5 रहेगा ।

(4) वर्ष 2010–11 की शीरा नीति की भाँति शीरा वर्ष 2011–12 में अनुपात अनुरक्षण की समीक्षा हेतु सत्र के प्रथम छमाही में द्विमासिक समीक्षा एवं अगले छमाही में मासिक समीक्षा करके गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त उ0प्र0 द्वारा प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) शीरा वर्ष 2009–10 में कतिपय चीनी मिलो में पेराई के दौरान निर्धारित अनुपात में शीरा विक्रय न कर सकने तथा मिलों में सीमित भण्डारण क्षमता होने के कारण शीरा ओवर फ्लो हो कर नष्ट होने की

सम्भावना बन गयी थी। कतिपय प्रकरणों में टैंक के लीकेज होने, ओवरफ्लो होने, आटोकम्बशन की स्थिति व अन्य आकस्मिकता की स्थिति भी उत्पन्न हो गयी थी। ऐसी स्थिति में शीरे को तत्काल क्षति से बचाने, राजस्व क्षति को रोकने एवं उद्योग हित की दृष्टि से अस्थायी रूप से अनुपात शिथिल करने (ओवरशूट) की अनुमति प्रदान किया जाना अपरिहार्य हो गया था। ऐसी चीनी मिलों को अस्थायी रूप से अनारक्षित शीरे के विक्रय हेतु अनुपात शिथिल (ओवरशूट) करने की अनुमति कतिपय प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की गयी थी। चीनी मिलों को नया पेराई सत्र आरम्भ होने पर, शीरा उत्पादन के पूर्व टैंक खाली कराने की आवश्यकता होती है। कतिपय चीनी मिलें अनारक्षित शीरे का निस्तारण अनुपात अनुरक्षण (आरक्षित एवं अनारक्षित) के कारण नहीं कर पाती हैं, जिस कारण वे अनुपात शिथिल करने का अनुरोध करती हैं और उनके अनुरोध पर ऐसे प्रकरणों में भी अनुपात अनुरक्षण में शिथिलता की अनुमति कतिपय प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की गयी थी। शीरा सत्र 2010–11 में भी चीनी मिलों के आवेदन पर गुणावगुण के आधार पर विचार करने के उपरान्त अस्थायी तौर पर अनुपात में शिथिलीकरण/छूट शासन स्तर से प्रदान की गयी थी। अतः शीरा सत्र 2011–12 में यदि उपरोक्त वर्णित कोई भी आकस्मिकता/अपरिहार्यता की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे शीरे की हानि होने की सम्भावना बन जाती है तो शीरे के सुरक्षित भण्डारण के उद्देश्य से यदि किसी चीनी मिल द्वारा आवेदन किया जाता है तो गुणावगुण के आधार पर विचार करने के उपरान्त अस्थायी तौर पर अनुपात में शिथिलीकरण/छूट प्रदान करने का प्रस्ताव शीरा नियंत्रक द्वारा शासन को प्रेषित किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित शीरा विचलन समिति की संस्तुति पर अंतिम निर्णय शासन द्वारा लिया जायेगा।

(6) शीरा वर्ष 2011–12 में शीरे के निर्यात पर सामान्यतया प्रतिबन्ध रहेगा, किन्तु शीरे की उपलब्धता आवश्यकता से अधिक होने पर राजस्वहित में उसके निर्यात के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक से सुविचारित प्रस्ताव/संस्तुति प्राप्त होने पर शीरा निर्यात की अनुमति अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित शीरा विचलन समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी के अनुमोदन से दी जायेगी।

(7) शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर शीरा नीति 2010–11 की भाँति शीरा वर्ष 2011–12 में प्रदेश के अन्दर खपत के लिये रूपया 11/– प्रति कुण्टल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात पर रूपया 15/– प्रति कुण्टल यथावत् रखने एवं इसके अतिरिक्त अन्य प्रान्तों से शीरा आयात पर रूपया 11/– प्रति कुण्टल तथा अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात पर प्रशासनिक शुल्क की दर रूपया 15/– प्रति कुण्टल यथावत् रहेगा ।

(8) शीरा नीति वर्ष 2010–11 में अन्य राज्यों से शीरा आयात करने की व्यवस्था थी, जिसके अनुसार शीरा आयात करने से पूर्व आयातक को आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाता था। उक्त व्यवस्था शीरा वर्ष 2011–12 में भी यथावत् रहेगी। शीरा नीति 2010–11 की भांति शीरा वर्ष 2011–12 में भी आयात के पूर्व आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक से,

अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के साथ देश के अन्य राज्यों से शीरा आयात किये जाने का प्राविधान यथावत् रहेगा।

(9) शीरा सत्र 2010–11 में अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात की अनुमति शासन द्वारा रूपया 15/– प्रति कुण्टल की दर से प्रशासनिक शुल्क की देयता के साथ प्रदान किये जाने का प्राविधान था। शीरा वर्ष 2011–12 में भी अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात करने की अनुमति शासन के अनुमोदन से प्रदान करने एवं शीरा आयातक को भारत सरकार द्वारा आयात निर्यात के सम्बन्ध में निर्धारित नीति एवं शर्तों का पालन करने के साथ शासन के अनुमोदन से प्रदान की जायेगी।

(10) शीरा नीति 2010–11 की भॉति शीरा वर्ष 2011–12 में शीरा निधि की धनराशि को अन्तर इकाई हस्तानान्तरण की सुविधा शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्वानुमोदन के अधीन रहेगी।

(11) शीरा वर्ष 2010–11 की भांति पावर अल्कोहल हेतु शीरे पर किसी प्रकार की छूट न दिये जाने सम्बन्धी व्यवस्था, शीरा वर्ष 2011–12 में भी यथावत् रहेगी।

(12) शीरा नीति 2010–11 की भॉति शीरा सत्र की समाप्ति के पूर्व यथोचित समय पर अवशेष अविकीत आरक्षित श्रेणी के शीरे को स्वयं के उपभोग अथवा फ्री सेल में विकय हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को शीरा नियंत्रक द्वारा स्वविवेक से निर्णय लेते हुए शासन को सन्दर्भित करने एवं उस पर शासन द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिये जाने की व्यवस्था शीरा वर्ष 2011–12 में भी यथावत् लागू रहेगी।

(13) शीरा सत्र 2010–11 की शीरा नीति में देशी मदिरा के उपभोग से अवशेष आरक्षित शीरे का आवंटन विदेशी मदिरा के निर्माताओं को शीरा नियंत्रक द्वारा किये जाने का प्राविधान था। गतवर्ष की भांति शीरा वर्ष 2011–12 में भी इस व्यवस्था को यथावत रखा जाता है ।

(14) शीरा नीति 2011–12 में शीरा विचलन के प्रकरणों का निस्तारण किये जाने हेतु शीरा वर्ष 2010–11 की व्यवस्था को यथावत् बनाये रखा जाता है अर्थात् शीरा विचलन के प्रकरणों में विचारार्थ शीरा सत्र 2011–12 में भी अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन कार्यालय ज्ञाप संख्या–2908ई–2/तेरह–2011–96/2011 दिनांक–20.12.2011 द्वारा किया गया है:–

1–	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	––	अध्यक्ष
2–	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	––	सदस्य
3–	प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग	––	सदस्य
4–	प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग	––	सदस्य/संयोजक।

चीनी मिलों के प्राप्त आवेदन पत्रों का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करके आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक द्वारा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित शासन को प्रेषित किया जायेगा, जिस पर उपर्युक्त समिति द्वारा विचार कर अपनी संस्तुति की जायेगी तथा मा0 आबकारी मंत्री जी के अनुमोदन से शासन द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(15) खाण्डसारी शीरे की आड़ में प्रदेश की चीनी मिलों का भी शीरा तस्करी करके अन्य प्रान्तों में भेजे जाने की संभावना बनी रहती है। अतः शीरे की तस्करी रोकने एवं उस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सिविल अपील संख्या–4796/1998 कुराली शीरा उद्योग बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में गत शीरा वर्ष 2010–11 की भांति शीरा वर्ष 2011–12 में भी खाण्डसारी शीरे का प्रदेश से बाहर निर्यात आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जायेगा।

(16) प्रदेश में उठने वाले शीरे के उठान को नियंत्रित करने एवं सम्भरित शीरे का सही लेखा–जोखा रखने के उद्देश्य से शीरे पर आधारित इकाईयों को शीरे का उठान शीरा पासबुक के आधार पर ही किये जाने की व्यवस्था लागू की जाती है तथा शीरे के सम्भरण, संचालन तथा परिवहन हेतु उचित प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के प्राविधान/निर्देश शीरा नियंत्रक स्तर से जारी किये जायेंगे ।

(17) विगत शीरा नीति में यह प्राविधान था कि शासन द्वारा बी0आई0एफ0आर0 के अंतर्गत आने वाली किसी चीनी मिल को यदि छूट प्रदान की जाती है तो छूट मिलने की तिथि से उस चीनी मिल में, उत्पादित/उपलब्ध शीरे पर आरक्षण लागू नहीं होगा, परन्तु ऐसी चीनी मिलों को प्रशासनिक शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी। इस व्यवस्था को गत वर्ष की भांति इस वर्ष 2011–12 में भी यथावत् लागू रखा जाता है। इस सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित शीरा विचलन समिति की बैठक में विचार करके संस्तुति की जायगी, जिस पर मा0 आबकारी मंत्री जी के अनुमोदन से शासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

(18) शीरा नीति 2010–11 की भांति शीरा वर्ष 2011–12 में भी प्रदेश में शीरे पर आधारित लघु इकाईयों, जैसे यीस्ट, पशु आहार, तम्बाकू इत्यादि उत्पादक इकाईयों को शीरे का आवंटन उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम,1964 की धारा–7 के अंतर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र पर स्थानीय अधिकारियों की आख्या/संस्तुति, इकाईयों की यथार्थ मांग एवं प्रदेश में शीरे की उपलब्धता/वास्तविक आवश्यकता तथा लोकहित में शीरे की सदुपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुये इकाईयों की निर्धारित क्षमता के अंतर्गत समय–समय पर शीरे की उपलबधता, आवश्यकता एवं सदुपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुये शीरा नियंत्रक द्वारा शीरा आवंटित किया जायेगा ।

(19) शीरा नीति 2011–12, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में लम्बित एस0एल0पी0(सी0) नं0–12922/2011 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 व अन्य एवं उससे सम्बद्ध अन्य विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

(20) शीरा नीति 2011–12 तब तक यथावत् प्रभावी रहेगी, जब तक कि वर्ष 2012–13 के लिये शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती है।

20.12.2011

(महेश कुमार गुप्ता)
शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

सं0–19183–19483/दस–शीरा/शीरा नीति/2011–12/तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी विभाग, बापू भवन लखनऊ ।

2– गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

3– समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

4– समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार अनुपात की समीक्षा कर शीरा नियंत्रक कार्यालय को उपलब्ध करायें, जिससे समय से शासन को, आख्या प्रेषित की जा सके ।

5– समस्त जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

6– समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय ।

7– समस्त उप/आबकारी निरीक्षक/अध्यासी चीनी मिलें, उत्तरं प्रदेश ।

8– अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ, लखनऊ ।

9– प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ ।

10– प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल लि0, लखनऊ ।

11– अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आसवक संघ, पी0एच0डी0 हाउस, अपोजिट एशियन गेम्स विलेज, नई दिल्ली ।

12– समस्त आसवनियाँ/इकाईयाँ उत्तर प्रदेश ।

(महेश कुमार गुप्ता)
शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।